Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time : 3 Hours | Maximum Marks : 100

S

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहिचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा कोई भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्न पत्र 'अ' और 'ब' दो भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में से किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये हैं।
5. भाग 'अ' में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के चार उत्तर विकल्प दिये गये हैं। अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर विकल्पों के आगे बने चौखाने में सही का चिन्ह ✓ लगा कर स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने चाहिये, किसी अन्य स्थान पर नहीं। प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाना है। एक से अधिक उत्तर दिये जाने की दशा में उत्तर गलत माना जायेगा।
6. भाग 'ब' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी को अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक नहीं लिखने चाहिये। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
8. उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनों में नहीं। फ्लेप पर उत्तर के माध्यम के चौखाने में एक विकल्प को चिन्हित करें।
9. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
10. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र अभिजागर से कह कर उसे बदलवा ले या अभिजागर के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
11. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll Number, Name, Address, Mobile Number/ Telephone Number, Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The question paper is divided into two parts, A and B. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
5. There are Twenty (20) objective type questions in Part 'A' of the question paper cum answer book, each having four (4) alternative options. Candidate should clearly indicate the correct answer of objective type question in the box provided against each option by mark of correct ✓ and not elsewhere. Only one answer is to be indicated for each question. Marking of more than one answer would be treated as wrong answer.
6. The answers of the questions in the part 'B' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
7. The candidate should not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
8. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking in box of medium of answer on the flap.
9. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
10. In case the Question paper – cum Answer booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
11. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

https://www.pyqonline.com

Part A – भाग अ **Marks/अंक – 20**
Objective – वस्तुनिष्ठ

Attempt all the 20 Questions. Each question carries 1 mark.
समस्त 20 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है।

Question No.1.

Exclusion of jurisdiction of civil court with respect to any matter arising and provided for under the provisions of Rajasthan Tenancy Act, 1955 and Rajasthan Land Revenue Act, 1956 shall not operate in respect of :-

(1) a boundary dispute or any other dispute between estate holder, wherein a question of title is involved ☐
(2) for establishing right to way or easement ☐
(3) (1) & (2) above ☐
(4) none of above ☐

प्रश्न संख्या 1.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले एवं प्रावधित किस मामले में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार विवर्जित नहीं होगा:

(1) किसी भी सीमा विवाद में या भू सम्पतिधारकों के बीच अन्य विवाद जिसमें स्वत्व का कोई प्रश्न अन्तर्वलित हो ☐
(2) किसी व्यक्ति के रास्ते के अधिकार या सुखाचार को स्थापित करने के लिए ☐
(3) उपरोक्त (1) और (2) ☐
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ☐

Question No.2.

The doctrine of *dominus litis* is acceptable in Civil Procedure Code, 1908 but with exception under :-

(1) Order VIII Rule 9 ☐
(2) Order I Rule 10(2) ☐
(3) Order II Rule 2 ☐
(4) Order I Rule 6 ☐

प्रश्न संख्या 2.

डोमिनस लिटिस का सिद्वान्त अपवाद के साथ व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में स्वीकार्य है:–

(1) अन्तर्गत आदेश VIII नियम 9 ☐
(2) अन्तर्गत आदेश I नियम 10(2) ☐
(3) अन्तर्गत आदेश II नियम 2 ☐
(4) अन्तर्गत आदेश I नियम 6 ☐

Question No.3.

Under the provisions of Order XIV Rule 1 Code of Civil Procedure, 1908, the kinds of issues specified are :-

(1) issues of fact ☐
(2) issues of law ☐
(3) issues of fact and issues of law ☐
(4) issues of fact, issues of law and issues of mixed questions of law and fact ☐

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 3.

आदेश XIV नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908, के अन्तर्गत विवाद्याकों के विनिर्दिष्ट प्रकार है :–

(1) तथ्य के विवाद्यक
(2) विधि के विवाद्यक
(3) तथ्य के विवाद्यक एवं विधि के विवाद्यक
(4) तथ्य के विवाद्यक, विधि के विवाद्यक तथा तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्नों के विवाद्यक

Question No.4.

Rashid Ahmad and Anr. Vs. Anisa Khatun and Ors.(AIR 1932 PC 25) is an authoritative pronouncement of Privy Council on the subject :-

(1) Inheritance under Muslim Law
(2) Legitimacy of divorce
(3) Right of a Muslim to execute Hiba for his property
(4) Muslim women right to maintenance

प्रश्न संख्या 4.

रशीद अहमद एवं अन्य बनाम अनीसा खातून एवं अन्य (AIR 1932 PC 25) प्रिवी कॉउंसिल का निम्न में से किस विषय पर अधिकारिक निर्णय है :–

(1) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार
(2) तलाक की विधि सम्मतता
(3) एक मुस्लिम का अपनी सम्पत्ति का हिबा निष्पादन का अधिकार
(4) मुस्लिम महिला का भरण पोषण का अधिकार

Question No. 5.

Order XVI Rule 14 CPC provides for:-

(1) procedure if witness fails to appear
(2) summoning a stranger to the suit as a witness by the court on its own accord
(3) procedure where witness fails to comply with summons
(4) consequence of refusal of party to give evidence when called on by court

प्रश्न संख्या 5.

आदेश XVI नियम 14 प्रावधित करता है :–

(1) प्रक्रिया यदि साक्षी उपस्थित होने में विफल रहे
(2) न्यायालय द्वारा स्वतः वाद से अपरिचित व्यक्ति को साक्षी के रूप में आहूत करना
(3) प्रक्रिया यदि साक्षी सम्मन की पालना करने में विफल रहे
(4) न्यायालय द्वारा आहूत करने पर पक्षकार द्वारा साक्ष्य देने से इन्कार करने पर परिणाम

Question No. 6.

Basic idea in Rule of Res-judicata has sprouted from the maxim?

(1) ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
(2) fraus et jus nunquam cohabitant
(3) damnum sine injuria
(4) nemo debet bis vexari pro una et eadem causa

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 6.

पूर्व न्याय (रेस जूडिकेटा) के नियम का प्रादुर्भाव निम्न सूत्र (मेक्सिम) से हुआ है :

(1) ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat

(2) fraus et jus nunquam cohabitant

(3) damnum sine injuria

(4) nemo debet bis vexari pro una et eadem causa

Question No.7.

In the event of death of the person referred to in sub-clause (i) of Section 2(i) of the Rajasthan Rent Control Act, 2001, in case of premises let out for residential purposes, who of the followings ordinarily residing with him as member of his family upto his death shall be included within the definition of tenant :-

(1) surviving spouse, son, daughter, brother, sister, mother, father, grand father and grand mother

(2) surviving spouse, son, daughter, brother, sister, mother and father

(3) surviving spouse, son, daughter, mother and father

(4) surviving spouse, son and daughter

प्रश्न संख्या 7.

राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम, 2001 की धारा 2(झ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, निवासीय प्रयोजनार्थ किराये दिये गये परिसर की दशा में, ऐसे परिसर में उसके कुटुम्ब के सदस्य के रूप में उसकी मृत्यु तक साधारणतया निवास कर रहे निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति किरायेदार की परिभाषा में सम्मिलित होगें :–

(1) उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, माता, पिता, दादा एवं दादी

(2) उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, माता एवं पिता

(3) उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता एवं पिता

(4) उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र एवं पुत्री

Question No.8

Section 14 of the Limitation Act 1963 can be invoked by a litigant in :-

(1) Original Suit

(2) First Appeal

(3) Second Appeal

(4) All above

प्रश्न संख्या 8.

पक्षकार द्वारा धारा 14 परिसीमा अधिनियम, 1963 का अवलम्ब निम्न में लिया जा सकता है:-

(1) मूल दावा

(2) प्रथम अपील

(3) द्वितीय अपील

(4) उपरोक्त सभी

https://www.pyqonline.com

Question No.9.

The decision of the State Government shall be final and cannot be questioned before the civil court by way of civil suit or other proceedings by virtue of provision of sub-section (2) of Section 107 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, in respect of any dispute arising between :-

(1) two or more Panchayati Raj Institutions ☐
(2) two Panchayati Raj Institutions or between a Panchayati Raj Institution and any other local authority ☐
(3) a Panchayati Raj Institution and any statutory body ☐
(4) one or more Panchayati Raj Institution and any department of State Government ☐

प्रश्न संख्या 9.

निम्न में से किन के बीच उत्पन्न विवाद पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा एवं उसे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 107 की उप–धारा (2) के प्रावधान होते हुए व्यवहार न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद या अन्य कार्यवाहियो के माध्यम से प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है :–

(1) दो या अधिक पंचायतीराज संस्थान के बीच ☐
(2) दो पंचायतीराज संस्थान या एक पंचायतीराज संस्थान एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के बीच ☐
(3) एक पंचायतीराज संस्थान एवं किसी कानूनी निकाय के बीच ☐
(4) एक या अधिक पंचायतीराज संस्थाओं एवं राज्य सरकार के किसी विभाग के बीच ☐

Question No.10.

A person intending to erect new building, re-erect or to make material addition in a building within the territorial limits of a Municipality, may commence the construction taking it to be deemed permission of the Municipality under the provisions of Section 194 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 ('the Act') without violating any provision of the Act, rules or bye-laws made thereunder, on which of the following condition being satisfied:-

(1) the Municipality fails to decide his application within a period of two months from the date of receipt of application complete in all respect ☐
(2) if decision is not conveyed to the applicant within the period of two months and a clear one month notice is given by him asking the Municipality to take decision ☐
(3) on failure of the Municipality to decide his application within a period of two months and even after one month's clear notice being given to the Municipality asking to take decision on his application, the Municipality still fails to dispose of the application or to inform the person of the action which is being taken ☐
(4) none of the above ☐

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 10.

किसी नगरपालिका की सीमाओ के भीतर नया भवन निर्मित करने या भवन को पुनर्निर्मित करने या भवन में तात्विक परिवर्धन करने का आशय रखने वाला व्यक्ति निम्न में से कौनसी शर्त के सन्तुष्ट होने पर धारा 194 नगरपालिका अधिनियम, 2009 ('अधिनियम') के अन्तर्गत नगरपालिका की दी गयी अनुज्ञा मानते हुए, अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम एवं उपविधियों के किसी उपबंध का उलंघन किये बिना, संनिर्माण प्रारम्भ कर सकेगा :–

(1) यदि नगरपालिका सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर–भीतर उसका आवेदन विनिश्चित करने में विफल रहे ☐
(2) यदि दो माह की कालावधि के भीतर–भीतर विनिश्चय से आवेदक को सूचित नहीं किया जाता है एवं उसके द्वारा एक माह का स्पष्ट नोटिस नगरपालिका से उस कालावधि के भीतर–भीतर आवेदन विनिश्चत करने की अपेक्षा के साथ दे दिया गया है ☐
(3) यदि नगरपालिका के दो माह के भीतर–भीतर आवेदन के विनिश्चय करने में विफल रहने एवं एक माह का स्पष्ट नोटिस नगरपालिका से उसके आवेदन का विनिश्चय उक्त कालावधि के भीतर–भीतर करने की अपेक्षा के साथ देने के पश्चात् भी नगरपालिका आवेदन का निस्तारण करने में या कार्रवाई जो उस मामले में की जा रही है की सूचना उस व्यक्ति को देने में विफल रहती है ☐
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ☐

Question No.11.

The price in a contract of sale may be fixed:-

(1) by the contract ☐
(2) be left to be fixed in manner agreed by the contract ☐
(3) be determined by the course of dealing between the parties ☐
(4) all of the above ☐

प्रश्न संख्या 11.

विक्रय की संविदा में कीमत नियत की जाती है :–

(1) संविदा के द्वारा ☐
(2) संविदा के अन्तर्गत करारित रीति नियत किये जाने के लिए छोडी जा सकेगी ☐
(3) पक्षकारो के बीच की व्यवहार–चर्या द्वारा अवधारित की जा सकेगी ☐
(4) उपरोक्त सभी ☐

Question No.12.

Subject to the provisions of the Sale of Goods Act, 1930 and of any law for time being in force, notwithstanding that the property in goods may have been passed to the buyer, the unpaid seller of the goods as such has right by implication of law:-

(1) a lien on the goods for the price while he is in possession of them ☐
(2) has an absolute right of re-sale ☐
(3) an absolute right of stopping the goods in transit after he has parted with the possession of them ☐
(4) none of the above ☐

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 12.

माल विक्रय अधिनियम, 1930 और किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अध्यधीन इस बात के होते हुए भी कि माल में की सम्पत्ति क्रेता को संक्रान्त हो गई हो, असंदत विक्रेता को उस नाते विधि की विवेच्छा से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है :–

(1) माल पर कीमत लेकर तब तक धारणाधिकार जब तक उसका उस पर कब्जा रहता है ☐
(2) उसे पुनः विक्रय करने का सम्पूर्ण अधिकार है ☐
(3) माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात् उसे अभिवहन में रोक देने का अधिकार ☐
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ☐

Question No.13.

Who is liable for the wrongful acts of a partner acting in the ordinary course of business of a firm?

(1) only erring partner of the firm ☐
(2) the firm ☐
(3) only the partners actively carrying on the business of the firm in ordinary course ☐
(4) none of the above ☐

प्रश्न संख्या 13.

भागीदार के सदोष कार्य जो उसके द्वारा फर्म के कारोबार के साधारण अनुक्रम में किया गया है के लिए कौन उत्तरदायी होगा ?

(1) मात्र सदोष कार्य करने वाला भागीदार ☐
(2) फर्म ☐
(3) मात्र वे भागीदार जो सक्रिय रूप से साधारण अनुक्रम में फर्म का कारोबार कर रहे है ☐
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ☐

Question No.14.

In a suit where the prayer is for declaration and consequential injunction and the relief sought is with reference to any immovable property, the court fee payable under the Rajasthan Court Fees & Suits Valuation Act, 1961, shall be computed on :-

(1) market value of the property subject to minimum fee of twenty rupees ☐
(2) one half of the market value of the property subject to minimum fee of twenty rupees ☐
(3) on the amount at which the relief sought is valued in the plaint subject to a minimum of forty rupees ☐
(4) amount at which the relief sought is valued in the plaint subject to minimum of twenty five rupees ☐

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 14.

किसी वाद में जहाँ प्रार्थना घोषणा और पारिणामिक व्यादेश के लिए है और इच्छित अनुतोष किसी स्थावर सम्पति के बारे में है तो राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत देय न्यायालय फीस की संगणना निम्नानुसार की जायेगी :–

(1) फीस संगणना 20 रूपये न्यूनतम फीस के अध्यधीन, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर ☐

(2) फीस की संगणना 20 रूपये की न्यूनतम फीस के अध्यधीन, सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आधे पर ☐

(3) फीस की संगणना वाद में चाहे गये अनुतोष एवं मूल्यांकन के अनुसार, 40 रूपये की न्यूनतम फीस के अध्यधीन ☐

(4) फीस की संगणना वाद में चाहे गये अनुतोष एवं मूल्यांकन के अनुसार, फीस की गणना 20 रूपये की न्यूनतम फीस के अध्यधीन ☐

Question No.15.

Which one of these is federal feature of the Constitution of India:-

(1) written and rigid constitution ☐

(2) vesting of residuary powers with the Centre ☐

(3) distribution of powers between Centre and States ☐

(4) independent judiciary ☐

प्रश्न संख्या 15.

इनमें से कौनसा भारतीय संविधान के परिसंघीय प्रवृत्ति का द्योतक है:–

(1) लिखित एवं अनम्य संविधान ☐

(2) केन्द्र में अवशिष्टिय अधिकारों को निहित करना ☐

(3) केन्द्र व राज्यों के मध्य अधिकारों का वितरण करना ☐

(4) स्वतंत्र न्यायपालिका ☐

Question No.16.

The appointment of District Judges and the control over subordinate courts is dealt with under which Chapter of the Constitution of India ?

(1) Chapter VIII ☐

(2) Chapter VII ☐

(3) Chapter VI ☐

(4) Chapter IX ☐

प्रश्न संख्या 16.

जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा अधिनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से सम्बन्धित प्रावधानो का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अध्याय में है ?

(1) अध्याय VIII ☐

(2) अध्याय VII ☐

(3) अध्याय VI ☐

(4) अध्याय IX ☐

Question No.17.

Under Section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988, the owner of the motor vehicle or the authorised insurer shall be liable to pay compensation to the claimant as indicated in the Second Schedule in case of :-

(1) death ☐

(2) permanent disablement ☐

(3) death or permanent disablement ☐

(4) death, permanent disablement or any other injury ☐

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 17.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 163–क के तहत् मोटरयान का स्वामी अथवा अधिकृत बीमाकर्ता अधिनियम की अनुसूची द्वितीय के तहत् दावेदार को मुआवजा अदा करने के लिए निम्न मामलों में उत्तरदायी होगा :–

(1) मृत्यु होने पर
(2) स्थायी निःशक्तता होने पर
(3) मृत्यु या स्थायी निःशक्तता होने पर
(4) मृत्यु, स्थायी निःशक्तता अथवा अन्य कोई चोट कारित होने पर

Question No.18.

Which one of the following is not "public utility service" within the meaning of Section 22A(b) of the Legal Services Authority Act, 1987?

(1) System of public conservancy or sanitation
(2) Transport service for the carriage of passengers or goods by Air, Road, or Water
(3) Service rendered by educational institutions
(4) Insurance Service

प्रश्न संख्या 18.

निम्नलिखित में से कौनसी एक सेवा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22क(ख) के अर्थ में 'लोक उपयोगिता सेवा' नहीं है?

(1) लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली
(2) वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा
(3) शिक्षण संस्थाओ द्वारा दी जाने वाली सेवा
(4) बीमा सेवा

Question No.19.

Which of the following is lawful consideration:-

(1) A promises for certain sum paid to him by B, to make good to B the value of his ship if it is wrecked on certain voyage
(2) A promises to obtain for B an employment in public service and B promises to pay Rs.1,000/- to A
(3) A being agent for a landed proprietor agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal
(4) (1) & (3) above

प्रश्न संख्या 19.

निम्न में से कौनसा विधिक प्रतिफल है :–

(1) अ उसको ब द्वारा प्राप्त निश्चित राशि के एवज में एक निश्चित समुद्री यात्रा के दौरान उसके जहाज ध्वंस हो जाने पर उसका मूल्य अदा करने का वचन देता है
(2) अ ब को एक लोक सेवा दिलाने का वचन देता है और ब उसे एक 1000/– रूपये का भुगतान करने का वचन देता है

https://www.pyqonline.com

(3) अ जो एक भू स्वामी का अभिकर्ता है बिना उसके प्रमुख की जानकारी के ब को एक भूमि का पट्टा दिलाने का वचन देता है

(4) 1 और 3 दोनों

Question No.20.

Which of the following act does not constitute a form of domestic violence as defined under the provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005:-

(1) sexual abuse

(2) emotional abuse

(3) social isolation

(4) economic abuse

प्रश्न संख्या 20.

निम्नलिखित में से कौनसा आचरण घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है :–

(1) लैंगिक दुरूपयोग

(2) भावनात्मक दुरूपयोग

(3) सामाजिक अलगाव

(4) आर्थिक दुरूपयोग

**** **** **** **** ****

https://www.pyqonline.com

PART B - भाग ब **Marks/अंक – 80**

SUBJECTIVE/NARRATIVE

विषयनिष्ठ / वर्णात्मक

Attempt all 6 Questions. Question No. 1 and 2 carry 20 marks each. Question No. 3 to 6 carry 10 marks each.

समस्त 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1 एवम् 2 प्रत्येक के 20 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 3 से 6 प्रत्येक के 10 अंक निर्धारित है।

Question No.1: **(20 Marks)**

Write short notes on:

(Answer **any five** out of eight-each carries 4 marks)

प्रश्न संख्या 1.

संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :

(आठ में से **किन्ही पांच** का उत्तर दीजिये – प्रत्येक के 4 अंक निर्धारित है)

1(i) 'Fiduciary relationship' within the meaning of Section 16 of Indian Contract Act, 1872

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16 के अर्थ में 'वैश्वासिक सम्बन्ध'

1(ii)Doctrine of election as incorporated under Transfer of Property Act, 1882

सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 में उल्लेखित निर्वाचन का सिद्धान्त

1(iii)The principle of gender equality enshrined in Constitution of India

भारतीय संविधान में निहित लैगिंक समानता के सिद्धान्त

1(iv)Doctrine of Stare Decisis

स्टेयर डिसाइसिस का सिद्धान्त

1(v) Contract which are not specifically enforceable as per the provisions of Specific Relief Act, 1963

संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है

1(vi) Procedure and powers of the Rent Tribunal and the Appellate Rent Tribunal under Rajasthan Rent Control Act, 2001

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के तहत् किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया एवं शक्तियां

1(vii) Grounds for setting aside arbitral award under the Arbitration & Conciliation Act, 1996

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत माध्यस्थम पंचाट अपास्त करने के आधार

1(viii) Authority of the court to impound the instruments tendered in evidence, which are not duly stamped under the provisions of Rajasthan Stamps Act, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के तहत् न्यायालय द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत उन दस्तावेजात् को, जो सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, परिबद्व किये जाने की अधिकारिता

https://www.pyqonline.com

Question No.2: **(20 Marks)**

Explain the **difference** between:
(Answer **any five** out of eight-each carries 4 marks)
प्रश्न संख्या 2.
संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :
(आठ में से किन्ही पांच का उत्तर दीजिये – प्रत्येक के 4 अंक निर्धारित है)

2(I) Composite negligence and Contributory negligence
सम्मिश्रित लापरवाही एवं योगदायी लापरवाही

2(ii) Contingent contract and Quasi contract
समाश्रित संविदा एवं सदृश संविदा

2(iii) Grove land and pasture land
उपवन भूमि एवं चारागाह भूमि

2(iv) Physical abuse and sexual abuse under the provisions of Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शारीरिक दुरूपयोग एवं लैंगिक दुरूपयोग

2(v) Usufructuary mortgage and English mortgage
भोग बन्धक एवं अंग्रेजी बन्धक

2(vi) Mandatory injunction and prohibatory injuction
आज्ञापक व्यादेश एवं प्रतिषेधात्मक व्यादेश

2(vii) Ratio descidendi and obiter dicta
विनिश्चय–आधार एवं इतरोक्ति

2(viii) Condition and Warranty
शर्त एवं वारन्टी

Question No.3 **(10 Marks)**

Legal representatives of the deceased or victim of a motor accident can lay a claim for compensation either under Section 163A or 166 of the Motor Vehicles Act, 1988. Explain elaborately parameters and yardsticks set out for determining quantum of compensation in respect of claim under Section 163A and 166 of the Act. Deliberate on Section 168 of the Act vis-a-vis both the claims.

प्रश्न संख्या 3. (10 अंक)

मोटर दुर्घटना में मृतक के विधिक प्रतिनिधि या आहत व्यक्ति द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु धारा 163–क अथवा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत् दावा संस्थापित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 163–क व 166 के अन्तर्गत प्रस्तुत दावे में मुआवजा निर्धारण के आधार व मापदण्डों की विस्तृत व्याख्या करें। उक्त दोनों दावे के संदर्भ में अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानो की विवेचना करें।

OR

What are the general rules of succession in case of female Hindu under Chapter II of the Hindu Succession Act, 1956? Elucidate the order of succession and manner of distribution amongst heirs of a female and right of child in womb.

https://www.pyqonline.com

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अध्याय II के अन्तर्गत हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या है? हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति और गर्भ स्थित अपत्य के अधिकार का विशदीकरण कीजिये।

Question No.4: **(10 Marks)**

Citizens right to freedom of speech and expression has many facets and in the present scenario, it has acquired great significance to enforce transparency and accountability about the affairs of the State and public bodies. Elaborate on the issue and also make a critical analysis that right is not absolute but subject to reasonable restrictions.

प्रश्न संख्या 4. **(10 अंक)**

नागरिको के वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार के कई पहलू है एवं वर्तमान परिदृश्य में इसने राज्य एवं सार्वजनिक निकायों के कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जबाबदेही के प्रवर्तन के सन्दर्भ में महती उपयोगिता अर्जित की है। इस बिन्दु पर विस्तारपूर्वक विवेचना करें एवं यह अधिकार सम्पूर्ण नहीं है अपितु युक्तियुक्त निर्बन्धनो के अध्यधीन है, का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

OR

Article 14 of the Constitution permits classification but it prohibits class legislation. Explain the criteria for a valid classification with apt examples. Differentiate between a reasonable classification and a class legislation with special reference to the case of Ram Krishna Dalmia Vs. Justice S.R. Tendolkar (AIR 1958 SC 538). https://www.pyqonline.com

संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्गीकरण अनुज्ञेय परन्तु वर्ग विधान प्रतिबन्धित है। विधिमान्य वर्गीकरण के मानदण्ड की समग्र व्याख्या मय उचित उदाहरणों के करें। युक्तियुक्त वर्गीकरण एवं वर्ग विधान का विभेद प्रकरण राम कृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस एस. आर. टेन्डोलकर (AIR 1958 SC 538) के विशेष सन्दर्भ में करें।

Question 5: **(10 Marks)**

Discuss elaborately object, essential conditions of applicability of Section 47 of Civil Procedure Code, 1908 as also the power of Executing Court thereunder to determine the questions arising between the parties to the suit in which decree was passed or their representatives.

प्रश्न संख्या 5. **(10 अंक)**

धारा 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के उद्देश्य, लागू होने की आवश्यक शर्ते एवं निष्पादन न्यायालय की उस दावे के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच जिसमे आज्ञप्ति पारित की गयी थी, उत्पन्न होने वाले प्रश्नो को विनिश्चित करने की शक्तियों की विस्तृत विवेचना करें।

OR

Critically analyse the basic principles required to be taken into consideration while allowing or rejecting the amendment of the pleadings. Discuss the effect of amendment introduced in Order VI Rule 17 CPC vide Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2002.

अभिवचन के संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते समय विचारणीय आधारभूत सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा आदेश VI नियम 17 में प्रविष्ट संशोधन के प्रभाव की विवेचना करें।

https://www.pyqonline.com

Question 6: **(10 Marks)**

Plaintiff 'A' instituted a civil suit against defendant 'B' for perpetual injunction for restraining him from raising construction on his plot, which is adjacent to the plot of 'A', without prior permission from competent authority and further not to raise construction on the set back area. Defendant 'B' filed an application under Section 11 CPC with supporting documents resisting the suit by pleading that earlier 'A' filed a suit wherein the matter directly and substantially in issue between the same parties has been finally adjudicated by a Court of competent jurisdiction.

'A' submitted reply to the same and sought dismissal of the application with a plea that earlier judgment was rendered by the Court of competent jurisdiction by relying on inadmissible evidence and some of the legal precedents which were not of binding nature. A plea is also sought to be raised that alleged unauthorized construction on set back area was not subject matter of the earlier suit.

Draw an order with reasons on the application made by defendant 'B'.

वादी 'अ' ने प्रतिवादी 'ब' जिसका भू खण्ड वादी के भू खण्ड से पार्श्वस्थ है के विरूद्व इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 'ब' को भू खण्ड में सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्य करने से रोका जावे और यह भी आदेशित किया जावे कि वह भू खण्ड के सेटबेक में निर्माण कार्य न करें। प्रतिवादी 'ब' ने वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर ये अभिकथन किया की पूर्व में 'अ' ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद की विषय वस्तु वही थी जो वर्तमान वाद में है तथा उक्त वाद का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है।

'अ' ने प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर की कि पूर्व में पारित सक्षम न्यायालय का निर्णय साक्ष्य में अग्राहय् अभिलेखों एवं आबध्यकारी पूर्व न्याय निर्णयो पर आधारित है। यह तथ्य भी प्रतिउत्तर में उल्लेखित किया कि पूर्व में दायर वाद में सेटबेक पर तथाकथित अवैध निर्माण कार्य वाद का विषयवस्तु नहीं था।

प्रतिवादी 'ब' द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सकारण आदेश पारित करें।

https://www.pyqonline.com